14-09-2024

<u>नेशनल लोक अदालत (खण्डपीठ कमांक 11)</u>

<u>कार्यलय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला आगर मालवा म.प्र. के पृष्ठांकन कमांक 02/नेश. लोक. अदा./जिविसेप्रा/51/2024 आगर मालवा म.प्र. दिनांक 11.09.2024 के पालन मे लोक अदालत आयोजित की गयी।</u>

आवेदिका द्वारा अधिवक्ता श्री राणा चितरंजनसिंह उपस्थित।

अनावेदक अनुपस्थित।

प्रकरण अनावेदक की उपस्थिति हेतु नियत है।

आवेदिका के अधिवक्ता श्री राणा चितरंजनसिंह द्वारा व्यक्त किया गया कि आवेदिका प्रकरण नही चलाना चाहती है।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

अवलोकन से दर्शित होता है कि आवेदिका द्वारा यह आवेदन धारा 12 घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत भरण पोषण राशि की प्राप्ति हेतु अनावेदक के विरूद्ध पेश किया गया था। प्रकरण अभी आवेदिका साक्ष्य हेतु नियत था। आवेदिका के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण न चलाने के संबंध में आदेश पत्रिका के रिमार्क कॉलम मे लेख किया जा चुका है।

ऐसी स्थितियों मे प्रस्तुत आवेदन पर कोई कार्यवाही की जाना शेष नही रहती है। अतः प्रकरण को समाप्त किया जाता है।

प्रकरण का परिणाम उचित समयावधि मे सीआईएस पर दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार प्रेषित किया जाए।

जयनारायण सोलंकी
सुलहकर्ता सदस्य
खण्डपीठ कमांक 11

वंशिता गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
सुसनेर जिला आगर मालवा म.प्र.

VANSHITA GUPTA

Digitally signed by VANSHITA GUPTA
Date: 2024.09.14 15:25:00 +0530